RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : MISC-II/CPM/09/KPHO/2014-17
प्रधान डाकघर कानपुर–डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/–

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

अप्रैल–2016 | वर्ष – 08 | अंक : 03 | मूल्य : 5/–

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (इं. जल संस्थान इलाहाबाद), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश : सुनीता धीमान, 414/12, शास्त्री नगर, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 9450871741
सहायक ब्यूरो चीफ (उ.प्र.) : चन्द्रिका प्रसाद ओमर, 49ए/52–बी, ख्यौरा, आजाद नगर, कानपुर, मो.: 9305256450
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी–5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल :
पुष्पेन्द्र गौतम हिन्दुस्तानी, मल्हौसी, औरेया, उ.प्र. मो.: 9456207206
फुरकान खान, मो. : 8081577681
राकेश समुन्द्रे, मो. : 9889727574
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम–सराय, औरंगाबाद, पो.–बहादुरगढ़,जिला–झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.–रामटौरिया, जिला–छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य :
दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट–III, बदरपुर, नई दिल्ली–44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.–1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला–अलवर–301001,
मो. : 09887512360, 0144–3201516
चिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला–अलवर, मो.–09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.–08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला–महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.–रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें –
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–नवीन मार्केट, कानपुर
खाता सं.–33496621020 • IFSC CODE-SBIN005307

विभूति बोधिसत्व डॉ. भीमराव अम्बेडकर

पूरा नाम : डॉ. भीमराव अम्बेडकर
जन्मतिथि: 14 अप्रैल, 1891
मृत्युतिथि : 6 दिसम्बर, 1956, दिल्ली में
पिता का नाम: रामजी सकपाल
माता का नाम: भीमाबाई
जन्मस्थान: मऊ छावनी (मध्य प्रदेश)

अपने बचपन से ही भूख–प्यास, अपमान – अन्याय, अत्याचार–अनाचार और सामाजिक विभीषिकाओं की त्रासदी झेलते हुए और अपने कठोरतम परिश्रम, त्याग, बलिदान एवं लगन के बल पर जिन महापुरूषों ने समय–समय पर भारत के गौरवमय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अपने–अपने अध्याय जोड़ते हुए नये आयाम–नई दिशाएं सुस्थापित की हैं, उनमें 'भारत–रत्न' बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का नाम प्रमुख है।

यद्यपि डॉ. अम्बेडकर को दलितों के मसीहा तथा भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी के रूप में ही जाना जाता है, तथापि एक महान राष्ट्रीय एवं सामाजिक चिन्तक, लेखक, पत्रकार, अर्थशास्त्री, धर्मशास्त्री, निपुण राजनीतिज्ञ एवं संविधान विशेषज्ञ, ओजस्वी वक्ता, अभिवक्ता विधिवेत्ता, प्राध्यापक, राजनेता, कुशल प्रशासक, नारी उद्धारक, बौद्ध धर्म का पुनरोद्धारक और मानवतावादी के रूप में भी उनकी सेवाओं ने जो इतिहास रचा है, वह अजर–अमिट है। जो लोग उन्हे मात्र अपने तक सीमित रखना चाहते हैं वे वास्तव मे बाबा साहेब के साथ घोर अन्याय ही करते हैं। ऐसा कदाचित इसलिए भी किया जाता है, क्योकि वे सब उनकी विलक्षण प्रतिभा तथा बहुआयामी देशसेवा से निश्चय ही पूर्णतः परिचित नहीं हैं। पूज्य बाबा साहेब के महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व को वर्ग एवं समुदाय विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता है। वे मात्र एक राजनेता ही नहीं, बल्कि महापुरूष भी थे। वे एक महान राष्ट्रवादी देशभक्त, मानवतावादी, सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत, दलित मानवता के उत्थानकर्ता, समत्व के प्रतीक, जुझारू व्यक्ति और आधुनिक भारत के निर्माताओ मे से एक महान व्यक्ति थे।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में 14 अप्रैल, 1891 को महार जाति में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल तथा माता का नाम भीमाबाई था। अछूत परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बालावस्था से ही अपनी सामाजिक स्थिति का बोध होने लगा था। अपने पिता तथा बड़े भाई के संरक्षण एवं मार्गदर्शन से ही मेधावी बालक भीमराव ने अपनी तथा अपने जैसे लोगों की स्थिति को सुधारने हेतु भारी संघर्ष द्वारा जो अर्जित किया, उसे संक्षेप में व्यक्त करना संभव नहीं है। फिर भी उनके जुझारू एवं यशस्वी जीवन का ब्यौरा इस प्रकार है :–

डा0 अम्बेडकर एक दृष्टि में -

- 14 अप्रैल, 1891 : सूबेदार रामजी सकपाल एवं श्रीमती भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप मे, मध्य प्रदेश की महू छावनी मे जन्म।
- नवम्बर, 1900 : गवर्नमेंट वर्नाकूलर हाईस्कूल, सतारा में प्रवेश।
- जनवरी, 1908 : मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण।
- जनवरी, 1913 : बी.ए. उत्तीर्ण।
- जुलाई, 1913 : न्यूयार्क विश्वद्यिालय, मे प्रवेश हेतु गायकवाड़ छात्रवृत्ति प्राप्त
- 1915 : एम.ए. उत्तीर्ण।
- 1916 : 'नेशनल डिविडेन्ट ऑफ इण्डिया' पर पी.एच.डी.।
- 1917 – कोलम्बिया विश्वविद्यालय से पी.एच.डी प्राप्त।
- जून 1917 ' महाराजा बड़ौदा (गायकवाड़) के सैन्य सचिव नियुक्त।
- नवम्बर, 1918 : हैडनहम कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड इकोनोमिक्स, बम्बई मे पालिटिकल इकोनोमी के प्राध्यापक नियुक्त।
- जनवरी, 1920 : मराठी साप्ताहिक 'मूकनायक' का प्रकाशन।
- जून, 1923 : हाईकोर्ट आफॅ ज्यूडी केचर, बम्बई में वकालत शुरू।
- जुलाई, 1924 : दलितो के उन्नयन हेतु 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना।
- मार्च, 1927 : चावदार तालाब पर अछूतों को अधिकार दिलाने हेतु महाड़ मे सत्याग्रह
- अप्रैल, 1927 : पाक्षिक 'बहिष्कृत भारत' का प्रकाशन
- जून, 1928 : 'गवर्नमेट लॉ कालेज, बम्बई में लॉ के प्रोफेसर नियुक्त।
- मार्च, 1930 : नासिक के कालाराम मंदिर मे अछूतो को प्रवेशाधिकार दिलाने हेतु सत्याग्रह।
- दिसम्बर, 1930 साप्ताहिक 'जनता' का प्रकाशन
- 1932 : लंदन की 'गोलमेज सभा' के प्रतिनिधि नियुक्त।
- सितम्बर, 1932 ' रैमजे मैकडोनल्ड के कम्युनल एवार्ड मे अछूतों के पृथक निर्वाचन को त्याग कर महात्मा गांधी के साथ 'पूना पैक्ट' पर हस्ताक्षर, संयुक्त निर्वाचन स्वीकार।
- 1932–33 : इण्डिया कॉन्सटीट्यूशन रिफार्म' कमेटी के सदस्य मनोनीत
- जून, 1935 : गर्वनमेट लॉ कालेज, बम्बई के

प्राचार्य नियुक्त।

- सितम्बर, 1935 : नासिक जिले के 'याला' में 'हिन्दू धर्म' त्यागने की घोषणा।
- अगस्त, 1936 : 'इन्डीपेन्डेन्ट लेबर पार्टी' की स्थापनां।
- जनवरी, 1937 : बम्बई लेजिस्लेटिव एसेम्बली के सदस्य निर्वाचित।
- अप्रैल, 1942 : 'आल इण्डिया शैड्यूल कास्ट्रस फेडरेशन' की स्थापना।
- जुलाई, 1942 : गर्वनर जनरल ऑफ इण्डिया की कार्यकारिणी परिषद् में श्रम मंत्री मनोनीत।
- अप्रैल 1945 : 'पीपुल्स एजूकेशन सोसाइटी' की स्थापना।
- 1947 : भारत के संविधान की 'ड्राफिटंग कमेटी' मे नियुक्ति।
- 1947 : नेहरू मंत्रिमण्डल में विधि मंत्री नियुक्त।
- नवम्बर 1948 : भारत के संविधान की 'ड्राफिटंग कमेटी' के अध्यक्ष के रूप में संविधान असेम्बली का मसवदा पेश।
- सितम्बर 1951 : 'हिन्दू कोड बिल' तथा अन्य मतभेदों के कारण 'नेहरू मंत्रिमण्डल' से त्यागपत्र।
- मई 1952 : राज्यसभा की सदस्यता।
- अक्टूबर 1956 : नागपुर बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म की दीक्षा।
- 6 दिसम्बर, 1956 : दिल्ली में अलीपुर रोड स्थित अपने निवास पर महा प्रयाण।

प्रमुख कृतियाँ एवं रचनाएँ

1. कास्ट इन इण्डिया (1916)
2. स्मॉल होल्डिंग्स इन इण्डिया एण्ड देयर रेमेडीज (1918)
3. द प्राब्लम ऑफ रूपी (1923)
4. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (1935)
5. फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम (1939)
6. रानाडे, गांधी एवं जिन्ना (1943)
7. कम्यूनल डेडलॉक एण्ड वे टू साल्व इट
8. व्हाट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स (1945)
9. पाकिस्तान एण्ड पार्टीशन आफॅ इण्डिया (1945)
10. स्टेट्स एण्ड माइनारिटीज (1947)
11. हिस्ट्री आफॅ इण्डियन करेन्सी एण्ड बैंकिंग (1947)
12. महाराष्ट्र ऐज ए लिंग्विस्टिक स्टेट (1948)
13. द अनटचेबल्स (1948)
14. थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स (1953)
15. हू वेयर शूद्राज ? (1954)
16. राइज एण्ड फाल ऑफ हिन्दू वूमेन
17. गोस्पेल ऑफ बुद्धिज्म
18. बुद्ध एण्ड हिज धम्म

आजादी के बाद महिलाओं की वैधानिक स्थिति

स्वाधीन भारत में देश की इस आधी आबादी के संदर्भ में गहनता से विचार–विमर्श शुरू हुआ। हालांकि परम्परावादी अवरोध भी कम नहीं थे। स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार मिले, इस सम्बंध में कुछ मुद्दों पर आम सहमति थी तो कुछ मुद्दों पर मतभेद भी। इसलिए इस सम्बंध में कानून उतनी तीव्रता के साथ नहीं बन पाए जितनी तीव्रता अपेक्षित थी, परंतु फिर भी खंडों में ही सही नारी को पुरूषों के समान वैधानिक अधिकार दिलाने के प्रयास जारी रहे और परिणाम स्वरूप स्त्रियों की परिस्थितियां भी बदलीं। उनकी बदहाली में कमी भी आई। स्त्रियों को विवाह, सम्पत्ति, संरक्षकता एवं विवाह–विच्छेद के क्षेत्र में पुरूषों के समान अधिकार मिलने लगे तथा सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों से उन्हें छुटकारा पाने का अवसर मिला। ऐसे अधिनियमों में मुख्य इस प्रकार से है, जिनसे स्त्री की दिशा और दशा बदली।

पहला हिंदू विवाह अधिनियम–1955 और महिला

इसमें सबसे पहले हिंदू की परिभाषा समझाई गई। बताया गया कि हिंदू कौन है। आइए, हम भी इस अधिनियम को समझने का प्रयास करें और जाने कि इसमें हिंदू किसे बताया गया और उनके लिए क्या प्रावधान किए गए।

हिन्दू चाहे वे किसी भी जाति या सम्प्रदाय के हों। बौद्ध, जैन या सिक्ख।

कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपना मूल धर्म छोड़कर हिन्दू धर्म अपनाया हो।

आमतौर पर अनुसूचित जनजातियों पर यह कानून लागू नहीं होगा।

हिन्दू विवाह वर और कन्या के समाज में प्रचलित रस्मो–रिवाज के मुताबिक होना चाहिए।

आमतौर से हिन्दू विवाह होम, यज्ञ, हवन इत्यादि से और सप्तपदी द्वारा होता है।

हिन्दू विवाह के लिए वर और कन्या दोनों का हिन्दू होना जरूरी है।

वर और कन्या दोनों की पहले शादी नहीं हुई होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विवाह के समय वर की कोई जीवित पत्नी या वधू का जीवित पति नहीं होना चाहिए। पर जरूरी यह भी है कि वर और कन्या एक–दूसरे के नजदीकी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए।

वर और कन्या दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए।

वर की उम्र 21 वर्ष और कन्या की 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु के वर या वधू का विवाह करना कानूनी अपराध है, किन्तु, विवाह हो जाने पर ऐसा विवाह वैध माना जायेगा।

इस अधिनियम के अनुसार कुछ कारणों से विवाह रद्द किया जा सकता है –

पति की नामर्दगी के कारण।

शादी धोखे या दबाव से हुई हो।

नोट – विवाह अपराध को भी इस अधिनियम में शामिल किया गया।

पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है। कानून कहता है कि पत्नी के जीते जी दूसरी शादी करना कानून अपराध है। पहली पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ थाने में या मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकती है, ऐसे पति को सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

ऐसी दूसरी शादी कानून में वैध शादी नहीं मानी जाती।

पत्नी की सहमति से भी की गई दूसरी शादी गैर कानूनी है।

दूसरी पत्नी को वास्तव में पत्नी का कोई हक नहीं मिलेगा। उसे न तो खर्चा मांगने का कोई हक होगा, न ही पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार मिलेगा। हां, अगर पहली पत्नी की मौजूदगी दूसरी स्त्री से छिपाई गई हो, तो दूसरी पत्नी पति के खिलाफ धोखे का मुकदमा कर सकती है। वह पति से मुआवजा लेने के लिए भी मुकदमा कर सकती है।

ऐसी दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे को पिता की सम्पत्ति में वह सभी हक मिलेंगे जो कि जायज औलाद को मिलते हैं।

इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है तथा इस कार्य में लिप्त लोगों के लिए सजा का प्रावधान भी है। इस अधिनियम के अनुसार :

21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल के कम उम्र की लड़की का विवाह बाल विवाह कहलाता है। ऐसा करना कानून जुर्म है। 21 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की यदि अपनी इच्छा से शादी करते हैं, तो उन्हें 15 दिन की कैद, 100 रू. तक का जुर्माना या फिर कैद का जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

18 साल से ऊपर का लेकिन 21 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो, उसे 15 दिन की कैद या 100 रू. तक का जुर्माना या कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

21 साल से अधिक उम्र का लड़का अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे तीन माह तक की कैद तथा जुर्माना भी हो सकता है।

बाल विवाह करवाने वालों को–माता–पिता, रिश्तेदार, विवाह करवाने वाले पंडित, एवं विवाह में मुख्य भूमिका निभाने वाले अन्य लोग – भी तीन महीने तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। हां, किसी महिला (माता, पालक इत्यादि) को इस जुर्म में कैद नहीं किया जा सकता, केवल जुर्माना भरना पड़ेगा।

इस बिल में इस बात की भी व्यवस्था की गई कि बाल विवाह की शिकायत कैसे होगी?

1. जिस बालक या बालिका का बाल विवाह करवाया जा रहा हो, उसका कोई रिश्तेदार, दोस्त या जानकार बाल विवाह के सम्बंध में थाने जाकर पूरी जानकारी दे सकता है। इस पर पुलिस पूछताछ करके मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजेगी। मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस चलेगा और बाल विवाह साबित होने पर अपराधी व्यक्तियों को सजा दी जाएगी। बाल विवाह करने या करवाने वालों को तीन महीने तक की कैद तथा 1,000 रूपये (एक हजार रूपये) तक का जुर्माना या फिर कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

2. समय रहते शिकायत स्वयं करने या रिश्तेदार, दोस्त आदि द्वारा मजिस्ट्रेट के पास दर्ज करने पर और आदेश मिलने पर पुलिस ऐसे विवाह को रोकने की कार्रवाई करेगी और दोषी को सजा या जुर्माना हेतु केस दर्ज किया जाएगा।

इस अधिनियम द्वारा संविधान महिलाओं को तलाक का अधिकार प्रदान करता है। जिसके अनुसार यदि कोई महिला अपने पति से शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक तौर पर प्रताड़ित की जाती है तो वह अपने पति से विवाह–विच्छेद (तलाक) कर सकती है। जिन आधारों पर कोई महिला विवाह–विच्छेद के लिए अदालत जा सकती है वे निम्नलिखित है –

व्यभिचार या दूसरे के साथ संभोग।

पति बिना किसी वजह से पत्नी को छोड़कर चला जाता है तो स्त्री तलाक ले सकती है।

पति ने पत्नी को दो साल या इससे अधिक समय के लिए छोड़ रखा हो।

यदि पति पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार या अत्याचार करे तो वह तलाक ले सकती है।

इस अधिनियम में स्त्रियों को अधिकार दिए गए हैं कि अगर उसका पति असाध्य पागल हो तो वह पुनर्विवाह कर सकती है। इसके अलावा अगर पति सात साल से लापता हो और उसका कुछ पता न लग पा रहा हो तो भी वह अपना पुनर्विवाह कर सकती है।

अधिनियम में खर्चे–पानी (भरण–पोषण) की व्यवस्था इस प्रकार की गई है –

तलाक देने वाली अदालत आदेश जारी करेगी कि पति पत्नी को खर्चे आदि की रकम देगा।

पत्नी को खर्च इस आधार पर दिया जाएगा कि महिला अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करने में असमर्थ हो, पुरूष की आमदनी या जायदाद कितनी है, महिला की आवश्यकताएं क्या हैं आदि। यह सब देखने के बाद ही अदालत खर्चा तय करती है।

यह खर्चा तब तक दिया जाता है, जब तक खर्चा पाने वाला जिंदा रहता है। अथवा जब तक वह दुबारा विवाह न कर ले।

भारतीय दंड प्रक्रिया (जाब्ता फौजदारी) संहिता– इस संहिता की धारा 125 में भरण–पोषण (खर्चा–पानी) देने के बाबत प्रावधान है।

यह मुस्लिम महिला को छोड़कर शेष सभी भारत में निवास करने वाली महिलाओं को प्राप्त हो सकेगा।

मुस्लिम महिला को तलाक के बाद ईद्दत की अवधि तक यह अधिकार होगा।

यह पत्नी, बच्चों के अलावा बूढ़े मां-बाप को भी प्राप्त हो सकता है, जो अपनी संतान (लड़का-लड़की) में से किसी से भी चाहे वह शादी-शुदा हों, यह प्राप्त कर सकते हैं।

दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम - 1956 और महिला

देश की आजादी से पहले सम्पत्ति को लेकर मिलने वाले अधिकारों के सम्बंध में महिलाओं की स्थिति सुखद नहीं थी। कानून होते हुए भी उन्हें उनका यह अधिकार नहीं मिलता था।

महिलाओं की इस स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक संगठनों, समितियों एवं विभिन्न वर्गों ने सरकार को कई पत्र लिखे, प्रस्ताव भेजे और मांग की कि उन्हें बेहतर स्थिति में लाने के लिए ठोस कानून बनाया जाए। सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए बीएन राऊ समिति बनाई और फिर उसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 बनाया, जिसके तहत महिलाओं को व्यापक अधिकार मिल सकें।

इस अधिनियम के बाद में कई संशोधन भी हुए, जिनके सम्बंध में यहां विवरण देना तर्क संगत नहीं होगा। अतएव इस संदर्भ में हम इस पुस्तक के आगामी अध्यायों में पढ़ेंगे।

फिलहाल आइए, इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को देखते हैं।

इस अधिनियम के अनुसार अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है और उसने कोई वसीयत नहीं की है, तो उसकी सम्पत्ति का बंटवारा उसकी माता, पुत्र-पुत्रियों और पत्नी के बीच होगा।

उस संपत्ति का एक भाग माता को, एक विधवा पत्नी को, एक-एक बेटों को तथा एक-एक हिस्सा पुत्रियों को मिलेगा। यदि उसके बाद माता की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा उसके पोते-पोतियों को यानी पुरुष के पुत्र-पुत्रियों में बराबर-बराबर भागों में बंट जाएगा। उसमें विधवा पत्नी को हिस्सा नहीं मिलेगा।

अब इसके बाद जब विधवा पत्नी की मौत हो जाती है तो उसका हिस्सा भी उसके बेटे-बेटियों में बराबर बंटेगा। लेकिन यदि विधवा पत्नी की मौत हो जाती है और माता जीवित है तो पत्नी का हिस्से में से उसे कुछ नहीं मिलेगा।

आइए इस अधिनियम के इन पहलुओं को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।

मान लीजिए, एक व्यक्ति सुधीर कुमार (काल्पनिक नाम) अपनी सम्पत्ति की वसीयत किए बिना ही परलोक सिधार जाते हैं। उनकी माता सावित्री जिंदा है और विधवा पत्नी रीटा के अलावा दो बेटे रिंकू और टिंकू और दो बेटियां किन्नी और मिन्नी हैं तो सुधीर कुमार की सम्पत्ति के छह हिस्से होंगे और इन सभी को एक-एक हिस्सा मिलेगा।

अब अगर सावित्री की मौत हो जाए तो उसकी सम्पत्ति के चार हिस्से होंगे जो रिंकू, टिंकू, किन्नी और मिन्नी को एक-एक मिलेंगे।

रीटा को कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर रीटा की मौत हो जाए तो भी चार हिस्से होंगे और चारों बच्चों को एक-एक हिस्सा मिलेगा। सावित्री देवी को कुछ नहीं मिलेगा।

इस अधिनियम के अनुसार अगर मृतक की एक से अधिक पत्नियां हैं पत्नी को मिलने वाले एक भाग का पत्नियों में बराबर का बंटवारा हो जाएगा। अर्थात रीटा के अलावा अगर सुधीर कुमार की दो और पत्नियां हैं तो रीटा का हिस्सा तीन भागों में बंट जाएगा। यानी सारी पत्नियों को मिलाकर सम्पत्ति का एक हिस्सा ही मिलेगा, जो बराबर बांटा जाएगा।

पहले किसको और बाद में किसे

इस अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई है कि मृतक अगर बिना वसीयत किए परलोक सिधार जाता है तो सम्पत्ति पहले किसे मिलेगी और बाद में किसको।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 में सम्पत्ति प्राप्त करने वालों को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में उन लोगों को लिया गया है, जो जिंदा हैं तथा दूसरे भाग में उन लोगों को लिया गया है, जो जिंदा नहीं हैं और उनकी सम्पत्ति उनके वारिसों में बंटनी है। आइए, इसे क्रमवार समझें।

सुधीर कुमार की सम्पत्ति का बंटवारा तो आप समझ ही चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर रिंकू, टिंकू या किन्नी, मिन्नी में से किसी की मौत हो जाए या बंटवारे से पहले ही किसी की मौत हो चुकी हो, तो उसकी सम्पत्ति किसे मिलेगी? इसका जवाब यह है कि इनके वारिसों को मिलेगी। रिंकू और टिंकू की स्थिति भी सुधीर कुमार जैसी होगी और सम्पत्ति का बंटवारा भी ठीक उसी प्रकार होगा, जैसे सुधीर कुमार का हुआ था यानी इनकी पत्नियों को एक हिस्सा, माता को एक हिस्सा तथा बेटो और बेटियों को एक-एक हिस्सा। लेकिन किन्नी और मिन्नी की मौत के बाद उनका हिस्सा बराबर उनके जिंदा बेटे और बेटियों में बांटा जाएगा।

अपनी सम्पत्ति की खुद मालकिन

इस अधिनियम की धारा 14 के अनुसार महिला के कब्जे में जो भी सम्पत्तियां हैं, उनकी वे पूरी तरह से मालकिन मानी जाएंगी। पहले उनका सीमित स्वामित्व होता था। इस धारा की उपधारा दो यह कहती है कि महिलाओं को उन सम्पत्तियों का मालिकाना अधिकार नहीं मिलेगा, जिन पर उनका पहले से कोई अधिकार नहीं था।

इस धारा के अनुसार जो अन्य पहलू हैं, आइए उनके सम्बंध में भी जान लेते हैं।

हिंदू महिला के कब्जे में मौजूद किसी भी सम्पत्ति - चाहे वह इस अधिनियम के लागू होने से पहले हासिल की गई है या बाद में - का उसे पूरी तरह से मालकिन माना जाएगा न कि सीमित मालकिन।

मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अनुसार सम्पत्ति से मतलब उस चल और अचल सम्पत्ति से है, जो हिंदू महिला ने विरासत से, वसीयत द्वारा, विभाजन में, गुजारे या गुजारे की बकाया रकम के बदले, विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद दान द्वारा किसी व्यक्ति से, सम्बंधी से या अपने परिश्रम से, अपने कब्जे से या फिर स्त्रीधन के रूप में प्राप्त की हो। लेकिन यह ऐसी सम्पत्ति पर लागू नहीं होती, जो किसी लिखत के तहत या फिर सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के तहत या फिर मध्यस्थ के फैसले के तहत ऐसी शर्तों से प्राप्त हो, जिसमें सीमित सम्पदा देने की बात तय की गई हो।

यह जान लीजिए कि ऐसी सम्पत्तियां, जिनमें चल और अचल दोनों ही शामिल हैं, जैसे ससुराल या मायके से हिस्सेदारी में मिली सम्पत्तियां, विवाह के समय मिली हुई सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति, जो उनकी कमाई की है, पर उनका अधिकार है। पहले यह अधिकार महिलाओं को वास्तव में नहीं मिलता था।

कब्जे का मतलब भी समझ लें

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 में 'कब्जा' शब्द की भी पूरी व्याख्या की है।

यह व्याख्या एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई थी। यह केस था गुम्मल पुरा टग्गिना मतादाकोट्टुस्वामी बनाम सेटरा वीरव्वा का। यह मुकदमा वर्ष 1959 में कोर्ट के पास पहुंचा था तथा इसका नंबर था 577। इस मुकदमे के अनुसार कारी वीरप्पा नामक एक व्यक्ति की बिना वसीयत किए की मौत हो चुकी थी। उसकी कुछ सम्पत्ति पर उसके बेटे ने कब्जा कर लिया था। वकील का तर्क था कि पूरी सम्पत्ति महिला को दिलवाई जाए। कोर्ट ने कहा कि पुत्र ने जब सम्पत्ति पर कब्जा किया था, तब यह अधिनियम नहीं बना था। अधिनियम बनने के बाद वीरप्पा की विधवा के कब्जे में जो सम्पत्ति थी, वह उसी की मालकिन हो सकती है। कोर्ट के इस निर्णय से 'कब्जा' शब्द की व्याख्या हो गई।

सम्पत्ति का मर्जी से समझौता

यह अधिनियम बताता है कि कोई भी महिला अपनी सम्पत्ति को समझौते की तहत किसी को भी दे सकती है। एआईआर 1996 एससी 869 मामले के तहत रामनाथ दीवान ने अपनी आंशिक सम्पत्ति की सत्यवती के नाम पर एक वसीयत की, जिसमें उसने डॉक्टर्स लेन की एक सम्पत्ति सत्यवती को दे दी। बाद में उसके बेटे ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया कि यह सम्पत्ति पूरी तरह सत्यवती के अधिकार में नहीं है। फिर मां-बेटा में यह समझौता हुआ कि सत्यवती मकान की पहली मंजिल पर रह सकती है और पुत्र ऊपर की मंजिल पर रहेगा। बदले में पुत्र मां को प्रतिमाह 150 रूपए गुजारे के लिए देगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिला अपनी सम्पत्ति पर किसी भी तरह का समझौता भी कर सकती है।

महिला की मौत होने पर

इस अधिनियम के तहत अगर किसी हिंदू महिला की बिना वसीयत किए ही मौत हो जाए तो संपत्ति पर हक उसके पुत्र-व पुत्रियों का होगा। इसमें मृत बच्चों को भी शामिल किया जाएगा और उनका हल उनके उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें महिला के पति का भी हिस्सा होगा। लेकिन अगर पति की पहले ही मौत हो चुकी है तो यह हिस्सा पति के उत्तराधिकारियों में बांट दिया जाएगा। अगर पति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो जिस महिला की सम्पत्ति है, उसके माता-पिता को मिल जाएगी। अगर माता-पिता नहीं हैं तो पिता के उत्तराधिकारियों को मिलेगी। अगर पिता का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो माता के उत्तराधिकारियों को यह सम्पत्ति मिलेगी। लेकिन यह तरीका तभी अपनाया जाएगा, जब महिला की खुद की कमाई हुई सम्पत्ति का बंटवारा किया जाएगा। अगर महिला को कोई सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिली है तो उसके हकदार केवल उसके बच्चे होंगे। इन बच्चों में मृत बच्चों को भी शामिल किया जाएगा तथा उनके उत्तराधिकारियों को सम्पत्ति का भाग दे दिया जाएगा।

आइए इसे फिर से स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की संपत्ति धारा 16 में बिना वसीयत किए मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार होगा-

प्रथम, पुत्रों व पुत्रियों को, जिनमें पहले से मृत पुत्र व पुत्रियां भी शामिल हैं तथा मृतका के पति को।

द्वितीय, उपरोक्त न होने पर पति के वारिसों को।

तृतीय, यह भी न होने पर मृतका के माता-पिता को।

चतुर्थ, यह भी न होने पर पिता के वारिसों को।

अंत में, यह भी न होने पर माता के वारिसों को।

गर्भ की संतान भी उत्तराधिकारी

एक बार ऐसा हुआ कि मेरी एक रिश्तेदार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उस समय वह पूरे महीनों से गर्भवती थी। संयोग ऐसा हुआ कि मृत महिला के गर्भ से जीवित बच्चे का जन्म हो गया। जब सम्पत्ति में बंटवारे का समय आया तो महिला की मौत के बाद पैदा हुए बच्चे को उसके हक से वंचित किया जाने लगा। उस समय मौके पर कुछ वकील भी मौजूद थे, जिन्हे कानून का पूरा पता नहीं था। मैंने ऐन मौके पर पहुंचकर उन लोगों को बताया कि मौत के बाद पैदा हुए बच्चे का भी मां की सम्पत्ति पर उतना ही हक बनता है, जितना कि पहले पैदा हुए बच्चों का। किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। शहर से सीनियर वकीलों से सम्पर्क किया गया और मेरी बात सच निकली। यानी मौत के वक्त गर्भ में होने तथा बाद में जिंदा पैदा हो जाने वाले बच्चे का भी मां की सम्पत्ति पर अपने भाई-बहनों की तरह बराबर का अधिकार है।

ऐसा भी कर सकती है महिला

शायद आप इसे पढ़कर चौंक पड़ें, लेकिन कानूनन यह सही है। गौड़ा बनाम नागेगौड़ा केस एआईआर 2004 एससी 3974 मामले में एक महिला अपने पति की मौत के बाद उसकी सम्पत्ति की पूरी उत्तराधिकारिणी हो गई। पूरी सम्पत्ति पर उसका कब्जा हो गया। इस महिला का कोई बच्चा नहीं था और इसने एक बच्चा गोद ले लिया। बाद में यूं हुआ कि उसने अपनी संपत्ति उस गोद लिए बच्चे को न देकर किसी और को दे दी। बच्चे की ओर से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल गोद लेने मात्र से गोद लेने वाली माता का अपनी सम्पत्ति को स्थानांतरित करने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। वह अपनी सम्पत्ति की मनचाही वसीयत कर सकती और उसे किसी और के नाम स्थानांतरित कर सकती है।

यह उन गोद लिए जाने वाले बच्चों के लिए याद रखने वाली बात है कि वे गोद जाने के बाद अपनी मां की सम्पत्ति के तब तक मालिक नहीं बन सकते, जब तक कि

गोद लेने वाली मां की इच्छा न हो, या फिर वह बिना कोई वसीयत किए ही चल न बसे।

मुझे पूरी आशा है कि आप इस अधिनियम के बारे में अधिकांश बातें जान चुके होंगे। अब आजादी के बाद पारित हुआ तीसरा अधिनियम, जिसने हिंदू महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में काम किया।

तीसरा अधिनियम : हिंदू नाबलिग एवं संरक्षता अधिनियम 1956

इस अधिनियम के अनुसार जिस बच्चे की उम्र 18 वर्ष नहीं हुई, वह नाबालिग है तथा वह अपने अभिभावक के संरक्षण में रहेगा।

इस अधिनियम में अभिभावक की परिभाषा भी स्पष्ट की गई है। अभिभावकों के जो प्रकार बताए गए हैं, वे इस प्रकार हैं।

पहला स्वाभाविक अभिभावक यानी माता–पिता।

दूसरे जिसे माता–पिता किसी व्यक्ति के संरक्षण में भेज दें।

तीसरा, जिसके संरक्षण में न्यायालय बच्चे को भेज दे।

चौथा, वह जो अपनी विशेषताओं से कोर्ट में साबित कर दे कि वह ही बच्चे का अभिभावक बनने लायक है। उसी के अभिभावक बनने में ही बच्चे का कल्याण है।

अधिनियम के अनुसार पिता को नाबालिग बच्चे का पहला स्वाभाविक अभिभावक माना गया है तथा माता को दूसरा। लेकिन साथ ही यह भी माना गया है कि अगर बच्चा पांच वर्ष से छोटा है तो पहला स्वाभाविक अभिभावक उसकी मां है तथा पिता दूसरा। बालिग हो जाने पर व बेटी की शादी हो जाने पर उसका पति उसका अभिभावक बन जाएगा।

इस अधिनियम का स्त्रियों को यह लाभ मिला कि बच्चों के मामले में उनकी उपयोगिता और महत्व बढ़ गया। पहले जहाँ स्त्रियों को मनमाने तरीके से उनके बच्चों से दूर कर दिया जाता था या अलग कर दिया जाता था, वह कुप्रथा बंद कर दी गई। इसके अलावा पहले मां की सहमति के बिना बच्चे को परिवार के लोग कहीं गोद दे दिया करते थे, वह प्रथा बंद हो गई तथा इस मामले में स्त्री की सीधी मर्जी चलने लगी।

चौथा अधिनियम :
हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956

संतानहीन स्त्री के प्रति समाज की मानसिकता अभी भी बदली नहीं है उन्हें दुर्भाग्यशाली या बांझ जैसी उपमाओं से बेझिझक पुकारा जाता है। जबकि इसका कारण पुरूष भी हो सकता है, किंतु पुरूष को प्रायः धिक्कारा नहीं जाता बल्कि उसे विवाह विच्छेद तथा दूसरी शादी के लिए उकसाया जाता है। चाहे दूसरी पत्नी का हाल भी पहले वाली की तरह क्यों न हो। इस अधिनियम में स्त्री को गोद लेने का अधिकार दिया गया है। हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार मनुष्य तीन ऋण लेकर पैदा होता है– ऋषिऋण, देवऋण तथा पितृऋण। माना जाता है कि वेदों के अध्ययन से ऋषिऋण चुकता हो जाता है, धार्मिक यज्ञों से देवऋण पूरा होता है और पितृऋण तब चुकता होता है जब वह अपने पुत्र का मुंह देखता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार बिना संतान के मोक्ष प्राप्ति असम्भव मानी गई है। इसीलिए मनुस्मृति में भी सगी संतान के अभाव में दत्तक संतान का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में कन्याएं भी गोद ली जाती थीं। कुंती को महाराज भोज ने गोद ही लिया था। और अम्बा–अम्बालिका ने विधवा होने के बाद ही पांडु और धृतराष्ट्र को नियोग द्वारा जन्म दिया था। परंतु बाद में जब पुरूष प्रधान समाज की जटिलता बढ़ी तब ऐसा होना बंद हो गया।

हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम 1956 में इन खामियों को दूर किया गया। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया कि एक विधवा को भी बच्चा गोद लेने का उतना ही अधिकार है, जितना कि एक सधवा को। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि बिना पत्नी की सहमति के पति तथा बिना पति की सहमति के पत्नी बच्चा गोद नहीं ले सकती। इसके अलावा इस अधिनियम में यह भी बताया गया कि गोद लेने वाले माता–पिता अपनी मर्जी के मुताबिक सम्पत्ति की वसीयत करने का अधिकार रखते हैं यानी वे चाहें तो उस बच्चे को अपनी सम्पत्ति नहीं भी दे सकते, जिन्हें उन्होंने गोद लिया है। लेकिन अगर वे बिना वसीयत किए ही परलोक सिधार जाते हैं तो गोद लिए हुए बच्चे को उनकी सम्पत्ति मिल जाएगी।

दोनों ले सकते हैं बच्चा गोद

हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार बच्चा कानूनन कैसे गोद लिया जा सकता है, इस सम्बंध में आइए, विस्तार से सब जानते हैं। पहले इस अधिनियम की धारा 6 के बारे में जान लेते हैं। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि जब इसके जरूरी अधिनियमों को मान लिया जाएगा, तभी किसी बच्चे को गोद लिया जा सकता है।

धारा 6 के अनुसार : बच्चा गोद तभी लिया जा सकता है, जब गोद लेने वाला व्यक्ति बच्चे के भरण–पोषण की हैसियत रखता हो और इसके योग्य हो।

धारा 7 के अनुसार कोई भी हिंदू पुरूष जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और बालिग हो, पुत्र या पुत्री गोद लेने की हैसियत रखता है, लेकिन तब, जब उसकी पत्नी जीवित हो, पत्नी ने पूर्ण और अंतिम तौर पर वैराग्य न ले लिया हो या उसने धर्म परिवर्तन न कर लिया हो या फिर वह मानसिक तौर पर विक्षिप्त न हो। अगर ऐसा नहीं है तो पति अपनी पत्नी की सहमति के बच्चा गोद नहीं ले सकता।

यहां मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां है, तो उसे सभी पत्नियों की सहमति लेनी जरूरी है, बशर्ते कि किसी पत्नी ने जैसा कि ऊपर दिया गया है, वैराग्य न लिया हो, धर्म परिवर्तन न किया हो या वह मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो।

धारा 8 के तहत कोई भी हिंदू महिला तब मानसिक रूप से स्वस्थ है, बालिग है, अंतिम रूप से संसार से वैराग्य नहीं लिया या धर्म परिवर्तन करने के बाद हिंदू नहीं रह गई तो वह अपने पति की सहमति से बच्चा गोद ले सकती है।

अपनी संतान को गोद देना

धारा 9 बताती है कि संतान के माता या पिता या अभिभावक को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के पास संतान गोद देने लेने की हैसियत नहीं होगी। बच्चे के पिता या माता, यदि जीवित हों तो उन्हें अपने पुत्र या पुत्री को गोद देने का बराबर का अधिकार होगा। लेकिन जब तक इन दोनों में से कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो, वैराग्य न ले लिया हो या धर्म परिवर्तन करके हिंदुत्व न छोड़ दिया हो, तब तक बच्चे को गोद देने के लिए दोनों की सहमति जरूरी है।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार संतान के मामले में स्त्री को पुरूष के बराबर अधिकार दिया गया है। अगर वह हर तरह से ठीक–ठीक है तो उसकी अनुमति के बिना न तो किसी बच्चे को गोद लिया जा सकता है और न ही गोद दिया जा सकता है।

एक खास बात जो मैंने इस अधिनियम में पढ़ी है, वह यह है कि अगर कोई उपरोक्त कारणों से अगर पत्नी अयोग्य है तो पति बेटा तो गोद ले सकता है, लेकिन बेटी गोद लेने के लिए उसकी तथा बच्ची की आयु में कम से कम 21 वर्ष का अंतर जरूरी है। ठीक यही शर्त महिला पर भी है। अगर उसे पति के अयोग्य होने पर कोई बच्चा गोद लेना है तो उसके और बच्चे की आयु में भी इतना ही, यानी 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए।

बड़ा सवाल : अनेक पत्नियां होने पर माता कौन?

पुस्तक पढ़ते समय आपके दिमाग में भी सवाल आ सकता है कि अगर एक व्यक्ति की अनेक पत्नियां हों और वह उन सभी की सहमति से बच्चा गोद लेता है तो उसकी माता किसे कहा जाएगा। यह महत्वपूर्ण सवाल है और इसका उत्तर भी इसी अधिनियम में दिया गया है। आइए, इसे भी जान लेते हैं।

जहां कोई हिंदू, जिसकी एक ही पत्नी है, वही गोद लिए जाने वाले बच्चे की माता मानी जाएगी।

जहां एक से अधिक पत्नियां हैं सभी पत्नियों की सहमति से बच्चा गोद लिया गया है, तो जिस पत्नी के साथ उसका सबसे पहले विवाह हुआ है, कानूनी रूप से वही बच्चे की माता समझी जाएगी। अन्य माताएं सौतेली माताओं की श्रेणी में आएंगी।

अगर कोई विधुर, तलाकशुदा या अविवाहित पुरूष संतान को गोद लेता है और बाद में विवाह करता है तो विवाहित पत्नी बच्चे की सौतेली माता मानी जाएगी।

इसी तरह अगर कोई विधवा, तलाकशुदा या अविवाहित महिला संतान गोद लेती है और बाद में शादी करती है तो वह गोद ली हुई संतान का सौतेला पिता माना जाएगा।

कुछ अन्य बातें

कोई भी अकेली महिला तभी किसी बच्चे को गोद ले सकती है, जब वह स्वस्थ दिमाग की हो, नाबालिग न हो, शादीशुदा न हो या फिर जिसका तलाक हो चुका हो या फिर उसका पति पूरी तरह से संन्यास ले चुका हो या वह हिंदू न रह गया हो या फिर न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया जा चुका हो।

धारा 11 में यह शर्त है कि स्त्री तभी बच्चा गोद ले सकती है, जब उसका कोई हिंदु पुत्र न हो या फिर पुत्र का पुत्र न हो।

हिंदू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम कहता है कि यदि कोई पति–पत्नी बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो उस बच्चे को गोद लेने वाले माता–पिता के साथ सहमति जरूर होनी चाहिए। यह सहमति किसी भी दबाव में नहीं होनी चाहिए। खास बात यह भी है कि यह सहमति जुबानी नहीं, बल्कि लिखित रूप में होनी जरूरी है। इससे भी खास बात यह है कि उस लिखित सहमति को पंजीकृत करवाया जाना भी जरूरी है ताकि दोनों पक्षों में से कोई भी बाद में न मुकर सके। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बच्चे को गोद देना या लेना तभी वैध माना जाएगा, जब इसका कानूनी तौर पर पक्का रिकार्ड होगा।

नीलम की कहानी

एक दिन मेरी पत्नी की सहेली नीलम मुझसे मिलने के लिए आई। उसने बताया कि उसकी एक रिश्तेदार की कोई संतान नहीं है तथा वह उसकी बेटी को गोद लेना चाहती है। वह भी उसे बच्चा गोद देना चाहती है। मैंने पूछा 'इसमें आखिर परेशानी क्या है? इकरारनामा तैयार करवा लो। दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करके उसे पंजीकृत करवा लो। तुम्हारी बच्ची उनके गोद चली जाएगी। लेकिन उसने धीरे–धीरे इंकार में गर्दन हिलाते हुए कहा– 'बात यह नहीं है। मैं कोई और बात करने आई हूँ। मैं दरअसल यह चाहती हूं कि अगर वे मेरी बच्ची को गोद लेते हैं तो वही संपत्ति की अधिकारी भी बननी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वे बच्ची को गोद तो ले लें और अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी किसी और को बना दें।'

मैं नीलम की मंशा समझ गया। मैंने उसे कानूनी पहलू बताते हुए कहा : 'यह कोई मुश्किल बात नहीं है। जो इकरारनामा तैयार किया जाएगा, उसमें यह शर्त भी जुड़वा दो कि बच्ची को इस शर्त पर गोद दिया जाता है कि वही गोद लेने वाले माता–पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होगी। बच्ची को इसी शर्त पर गोद दिया जाता है।

जब इकरारनामे में यह दर्ज हो जाएगा तो गोद लेने वाले माता–पिता इंकार नहीं कर सकते। केवल गोद ली हुई बच्ची ही उनकी संपत्ति की वारिस होगी। लेकिन अगर इकरारनामे में यह बात दर्ज नहीं की गई तो उनकी मर्जी होगी कि वह अपनी वसीयत जिसके नाम चाहें, कर दें।'

मैंने नीलम को एक केस का हवाला देते हुए बताया कि – 'एआईआर 1991 एससी 1969 मामला बीटीगोबिंदप्पा बनाम बी. नरसिम्हैया का था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगाई, जिसमें कहा गया था कि नरसिम्हैया नामके बच्चे को गोद लेते समय गोद लेने वाले माता–पिता ने मंजूर किया था कि उनकी तमाम चल और अचल सम्पत्ति का वारिस गोद लेने वाला बच्चा होगा। इसलिए माता–पिता इस बात से नहीं मुकर सकते। इस पर विपक्ष के वकील ने कहा कि कुछ सम्पत्ति बच्चे की माता के स्त्रीधन के रूप में है। कानूनन वह उसकी वसीयत किसी के भी नाम करवा सकती है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह दलील नहीं मानी तथा गोद लेते समय जो इकरारनामा हुआ था, उसी की शर्त को माना।'

नीलम मेरे इस उत्तर से संतुष्ट हुई तथा मेरा धन्यवाद करके वहां से चली गई। कुछ दिन बाद जब उसने अपनी बच्ची को गोद देने का इकरारनामा तैयार करवाया तो उसमें स्पष्ट लिखवा दिया कि गोद लेने वाले माता–पिता की तमाम चल और अचल संपत्ति की वारिस

गोद ली हुई बच्ची होगी। इस प्रकार बच्ची का भविष्य सुरक्षित हो गया।

भरण–पोषण के बारे में जानें

अब आइए इस अधिनियम के दूसरे पार्ट का अध्ययन करते हैं, जिसमें भरण–पोषण के संबंध में विस्तार से बताया गया है। इस पार्ट में महिलाओं को भरण–पोषण मिलने की बात है। इस अध्याय की मूल बात यह है कि अगर कोई पत्नी पति से अलग रहना चाहे, तो उसे भी अपने पति से भरण–पोषण का खर्च पाने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी है, जिनका अध्ययन करना जरूरी है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पुत्रवधू के भी भरण–पोषण के अधिकार हैं।

सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि इस अधिनियम के अनुसार हर वह हिंदू पत्नी अपने भरण पोषण का अधिकार रखती है, जिसकी शादी इस अधिनियम के लागू होने के बाद या पहले हुई है। यानी यह बात कोई मायने नहीं रखती कि उसकी शादी अधिनियम के बनने के बाद हुई है या पहले। अगर वह पति से अलग रहना चाहती है तो उसे पति से भरण–पोषण पाने का अधिकार है। इतना ही नहीं, अगर उसके पति की मौत हो जाती है तो वह अपने ससुर से भी भरण–पोषण पाने का अधिकार रखती है। इस अधिनियम की धारा 18 में जहां पत्नी के भरण–पोषण की बात स्पष्ट है, वहीं धारा 19 में पुत्रवधू के अधिकारों की बात कहीं गई है। लेकिन पत्नी या पुत्रवधू किन शर्तों पर यह अधिकार पा सकती हैं, यह जानना जरूरी है।

वह तभी यह अधिकार प्राप्त कर सकती है, जब उसका पति बिना किसी उचित कारण और बिना उसकी सहमति के या उसकी इच्छा के खिलाफ उसे छोड़ने का या जान–बूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी है।

यदि उसका पति उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार करता है, जिससे उसके अपने मन में इस बात की उचित आशंका पैदा हो जाती है कि उसका अपने पति के साथ रहना नुकासानदेह होगा या उसे चोट पहुंचेगी।

यदि उसका पति गंभीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है।

यदि पति की कोई और पत्नी जीवित है और उसने यह बात शादी के वक्त छिपा ली।

यदि उसका पति उसी घर में जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है, कोई रखैल रखता है या किसी रखैल के साथ किसी अन्य स्थान में नियमित रूप से रहता है।

यदि उसका पति कोई और धर्म अपना लेने के कारण हिंदू नहीं रह गया।

यदि उसके अलग रहने का कोई अन्य न्यायोचित कारण है।

इन स्थितियों में नहीं मिलेगा अधिकार

यदि कोई हिंदू पत्नी बदचलन है या कोई और धर्म अपना लेने के कारण हिंदू नहीं रह गई, तो वह भरण–पोषण का अधिकार लेने की हकदार नहीं होगी।

पुत्रवधू के मामले में

कोई भी हिंदू पत्नी, चाहे उसका विवाह यह अधिनियम बनने के बाद हुआ हो या पहले, पति की मौत के बाद अपने ससुर से भरण–पोषण पाने की अधिकारी होगी। लेकिन तब तक, जब तक कि वह खुद अपनी कमाई से या अन्य सम्पत्ति से अपना भरण–पोषण करने के लायक नहीं हो जाती। अगर वह पहले से इस लायक है तो उसे ससुर से यह अधिकार नहीं मिल सकता।

अगर उसके पास पति, माता–पिता या पुत्र–पुत्री की कोई सम्पत्ति है और वह भरण–पोषण के लायक है तो उसे ससुर से यह सहायता नहीं मिल सकती।

अगर ससुर के कब्जे वाली पुश्तैनी सम्पत्ति से, जिसमें से पुत्रवधू को कोई हिस्सा नहीं मिलता है और ससुर के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं है, तो इस अधिनियम की धारा एक के अनुसार ऐसी किसी भी बाध्यता को लागू नहीं करवाया जा सकता।

अगर पुत्रवधू पति की मौत के बाद विवाह कर लेती है तो ससुर की भरण–पोषण देने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी।

इस अधिनियम का खास पहलू

इस अधिनियम को पढ़ने के बाद मुझे इसका एक खास पहलू मिला, जो जान लेना बेहद जरूरी लगता है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी जान–पहचान में एक व्यक्ति सुधांकर की मौत हो गई। पता चला कि उसके नाम कोई पैत्रिक सम्पत्ति नहीं थी। उसने अपनी मेहनत से कुछ सम्पत्ति अर्जित की थी, लेकिन मौत से पहले अपनी वसीयत अपने बेटे के नाम कर गया।

कानूनन वह ऐसा कर सकता था। लेकिन जब उसकी मौत हुई, तब उसकी पत्नी, एक अविवाहित बेटी और उसके माता–पिता भी उसी पर आश्रित थे। अब बेटा कहने लगा कि पिता ने सारी सम्पत्ति उसके नाम की है, इसलिए वह उसी की है। उसके दादा–दादी, मां और बहन के कहा कि बेशक वह उसकी है, लेकिन उनका गुजारा कैसे होगा? उनका जीवन कैसे गुजरेगा। उनमें से किसी के पास भी भरण–पोषण का कोई साधन नहीं है।

उनके रिश्तेदार भी कोई समझौता नहीं करवा सके और बात मुझ तक पहुंच गई। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि इस मामले में अभी तक किसी काबिल वकील की सलाह क्यों नहीं ली गई। मैं सुधांकर के घर पहुंचा और परिवार के सभी सदस्यों को बिठाकर कानून समझाया। मैंने उन्हें बताया कि अपनी कमाई हुई सम्पत्ति किसी के भी नाम की जा सकती है, लेकिन जिसे भी वह सम्पत्ति मिलती है, उसी पर मृतक के आश्रितों के भरण–पोषण करने की जिम्मेदारी होती है।

पुत्र इस पर बहस करने लगा। मैंने मौके पर एक योग्य वकील को बुलाया और उससे हिंदू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम के अनुसार स्थिति स्पष्ट करने को कहा। लेकिन वह वकील क्रिमिनल मामले देखता था तथा सिविल मामलों की उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस कारण दूसरा वकील बुलाना पड़ा जो सिविल मामलों का अच्छा जानकार हो। उस वकील ने मेरी बात की पुष्टि की। उसने बेटे को बताया कि मौत के बाद मृतक की संपत्ति जिसे मिलती है, उसे मृतक के आश्रितों के भरण–पोषण की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ऐसा कानून है। उसने यह भी बताया कि आश्रित की परिभाषा क्या है। आश्रितों में मृतक के पिता, माता, विधवा जब तक कि वह दूसरा विवाह न कर ले, उसका बेटा, पहले से मर चुके बेटे के नाबालिग बच्चे, अविवाहित पुत्र या पुत्री, मरे हुए पुत्र की अविवाहित पुत्री या पुत्र की अविवाहित पुत्री आदि जो मृतक से भरण पोषण पाते थे, अब मृतक की सम्पत्ति पाने वाले से भरण पोषण का अधिकार रखते हैं। इसके अलावा अगर मृतक की कोई विधवा पुत्री जिसके भरण–पोषण का कोई इंतजाम नहीं है, उसे भी सम्पत्ति से भरण–पोषण देना होगा।

अब एक और मामला

इसी तरह का एक और मामला मेरे सामने तब आया, जब मौत से पहले ही एक व्यक्ति ने अपनी सारी सम्पत्ति बेच दी। अब आश्रितों के सामने समस्या खड़ी हो गई कि भरण–पोषण का इंतजाम कहां से किया जाए। अब संपत्ति जिस व्यक्ति ने खरीदी थी, उसने साफ कह दिया कि मैं क्यों सहायता करूं। मैंने संपत्ति कोई मुफ्त में थोड़े ही ली है। कई वकीलों ने भी इस अधिनियम की पूरी जानकारी न होने पर कह दिया कि खरीदी हुई संपत्ति के मामले में किसी से भरण–पोषण नहीं लिया जा सकता। लेकिन मैंने यह अधिनियम बहुत ही गहराई से पढ़ रखा था। मुझे लगा कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। मृतक के आश्रितों को भरण–पोषण मिल सकता था। उसी रात मैंने इस अधिनियम पर दोबारा नजरें दौड़ाई तो चेहरे पर चमक आ गई। अधिनियम में साफ लिखा था– 'बेची हुई सम्पत्ति पर भरण–पोषण का अधिकार नहीं मिल सकता। लेकिन अगर खरीदने वाले व्यक्ति को इस बात का पता है कि उसी सम्पत्ति से बेचने वाले के आश्रितों का गुजारा होता है, तो उसे वह सम्पत्ति खरीदने पर आश्रितों को भरण–पोषण देना होगा।' मुझे लगा कि बात बन गई। पूरा शहर इस बात को जानता था कि मरने वाले में कुछ गलत आदतें थी और वह अपनी सारी कमाई व्यसनों में खर्च कर देता था। उस सम्पत्ति की बदौलत ही उस व्यक्ति के आश्रित अपना पेट भर पा रहे थे। यह सब जानते हुए भी उस सम्पत्ति को खरीदा गया। मतलब साफ था–'वह व्यक्ति फंस गया और उसे मृतक के आश्रितों को भरण–पोषण की सुविधा देने पर विवश होना पड़ा।'

इस अधिनियम में साफ लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हैं, तो उसे अपनी पत्नी, संतान और माता–पिता के भरण–पोषण का निर्वाह करना होगा। बशर्ते कि उनके पास भरण–पोषण का अन्य कोई साधन न हो। उसे अपनी जायज या नाजायज संतान, चाहे वह विवाहित हो या न हो, अगर शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपना भरण–पोषण नहीं कर पा रही तो पिता को उसका भरण–पोषण करना होगा। अगर पुरूष अपनी ऐसी संतान, पत्नी, माता–पिता का भरण पोषण नहीं करता तो वे प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट की अदालत में अपना हक मांग सकते हैं। अगर भरण–पोषण का जिम्मेवार व्यक्ति न्यायालय के आदेश की अवहेलना करता है, तो उसका वारंट जारी हो सकता है और वह जेल भेजा जा सकता है।

अभी तक आपने पढ़ा कि हिंदू कोड बिल के उन चार अधिनियमों के बारे में जिनसे महिलाएं सशक्त होकर उभरीं। ये अधिनियम थे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956ए हिंदू नाबालिग एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 तथा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956।

अब जानते हैं कि इन अधिनियमों का महिलाओं को कितना लाभ मिला है।

मैं समझता हूं कि इन अधिनियमों के लागू होने से भारतीय हिंदू महिलाओं की स्थिति में दिन और रात का फर्क आया है। महिलाओं ने हिंदू जीवन के पारंपरिक सिद्धांतो को नकारने का कड़ा प्रयास किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक चुनौती भी पेश की है। उनकी सामाजिक स्थिति तो सुधरी ही है, साथ में उन्हें आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। उनकी अनेक समस्याओं का निदान भी हुआ है। आइए, उन परिवर्तनों को समझने का प्रयास करते हैं।

भारत में महिला साक्षरता की स्थिति

1951	8.86 प्रतिशत
1961	15.34 प्रतिशत
1971	21.97 प्रतिशत
1981	29.75 प्रतिशत
1991	39.29 प्रतिशत
2001	55.00 प्रतिशत लगभग
2011	65.46 प्रतिशत

समझा जा सकता है कि आजादी के बाद महिलाओं की साक्षरता की दर में लगातार उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस प्रगति को देखते हुए जाने–माने शिक्षाविद् केएम पन्निकर ने कहा है– 'स्त्री शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी है, जिससे हिंदू सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना सम्भव हो गया है।'

आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता

यह सच है कि हिंदू समाज के अधिकांश लोग आज भी रूढ़िवादी हैं और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के खिलाफ हैं। वे नहीं चाहते कि महिलाएं आर्थिक तौर पर स्वतंत्र बनें और घर से बाहर निकलकर पैसे कमाएं। लेकिन यह भी सच है कि आजादी के बाद शिक्षा, औद्योगीकरण, नवीन विचारधारा और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण पुरूषों पर स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता लगातार कम होती चली गई।

आजादी से पहले भी हालांकि कुछ महिलाएं नौकरी करती थीं या अपना व्यापार करती थीं, लेकिन उनकी संख्या सीमित थी तथा उनका रोजगार प्रतिष्ठा की दृष्टि से हीन समझा जाता था। लेकिन अब स्थिति लगातार बदलती जा रही है। अब बड़ी संख्या में उच्च और मध्यम वर्ग की महिलाएं भी निश्चित होकर अपना व्यवसाय या नौकरी करने लगी हैं। उनकी मनोवृति में भी तेजी से बदलाव हुआ है। उनका मनोबल बढ़ा है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती जा रही है।

पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि

आजादी मिलने के बाद महिलाओं की पारिवारिक स्थिति और उनके अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर आने लगे हैं। आजादी से पहले जहां पुरूष महिलाओं को पैर की जूती समझता था, वहीं अब स्त्री पुरूष की परम सहयोगी, सहचरी और मित्र बन गई है। अब महिलाएं अपने परिवारों में एक प्रबंधक की तरह दिखाई देती है, न कि दासी की तरह। शिक्षित स्त्रियां बहुत कम शोषित हो रही हैं। उन्हें अपने अधिकार प्रायः बलिदान नहीं करने पड़ रहे। जब भी स्त्री को लगा है कि संयुक्त परिवारों में उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसने एकल

परिवार बसाने का प्रयास किया है ताकि उसे अधिक से अधिक अधिकार मिल सकें। वह अब अंतरजातीय विवाह करने लगी है तथा अपना कैरियर बनाने के लिए भी परिश्रम करने लगी है।

राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि

आजादी के बाद महिलाएं राजनीति में भी तेजी से उभर रही हैं। इसे एक सुखद आश्चर्य ही कहा जाएगा कि वे चुनाव जीतकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायतों में पहुंच रही हैं। वे सरपंच, प्रधान और प्रमुखों के पद तक पहुंच गई है। इतिहासकार व शिक्षाविद् केएम पन्निकर के अनुसार– 'कुछ मेधावी स्त्रियों ने जो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, वह भारत के लिए उतनी महत्व की नहीं है, जितनी कि यह बात कि कट्टरपंथी एवं पिछड़े समझे जाने वाले ग्रामीण व्यक्तियों के विचारों में अब परिवर्तन होने लगा है। यहां स्त्रियां उन सामाजिक बंधनों से बहुत मुक्त हो चुकी है, जिन्होंने उन्हें रूढ़ियों और 'बाबा वाक्य प्रमाण' की विचारधारा के द्वारा जकड़ रखा था'

इस प्रकार समझा जा सकता है कि आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति मे लगातार सुधा हुआ है। वे सशक्त होकर लगातार उभर रही है तथा देश व समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

नहीं बदलती महिलाओं की स्थिति

इतना सब कुछ होने के बावजूद पूरे भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नही हो पा रही है। इसे भारतीय नारी का दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि एक तरफ जहां उसे देवी बनाकर पूजा जाता है, तो दूसरी ओर सेविका बनाकर आज भी अनेक स्थानों पर शोषण किया जाता है। आज के बहुत पहले दक्षिण के मंदिरों में देवदासी प्रथा का खूब प्रचलन था। तब नारी को पत्थर की मूर्तियों की भेंट चढ़ाया जाता था और अंत में वेश्यालयों में बेच दिया जाता था। यह न समझें कि यह प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है।

आज भी दक्षिण भारत में कुंआरी कन्याओं का विवाह पूर्व मंदिरों में किया जाता है तथा उनका पण्डों द्वारा शोषण होता है। यह सभ्य समाज के माथ पर कलंक ही है। पुरूष अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नारी का उपयोग एक वस्तु की तरह करता है। यह जानकर दुःख होता है कि कभी अतिथि को देवता समझकर भोजन और मदिरा की तरह रात को कुंआरी कन्या को उसे सौंप दिया जाता था। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे पुरूष की कामुक भावना और चतुराई काम करती रही। स्त्री के खून में यह भावना, संस्कार की कूट–कूटकर भर दिए गए कि वह सिर्फ और सिर्फ शरीर है।

मुझे साहित्य में बचपन से ही रूचि रही है। इसलिए याद है कि एक जगह महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने बड़े दुख से लिखा है– 'योनि मात्र रह गई मानवी।' और 'कंकाल' उपन्यास में जाने–माने साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने स्वीकार किया है कि– 'पुरूष नारी को उतनी ही शिक्षा देता है, जितनी उसके स्वार्थ में बाधक न हो।' तभी तो कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। सच्चाई यह है कि अब विज्ञान भी– 'औरत को मारने के तथा उसे जड़ से मिटाने के नित नए तरीके ईजाद करता जा रहा है। यदि भ्रूण को ही मार दिया जाए तो शिशु को मारने की नौबत नहीं आएगी।' तमाम आंदोलनों और सुधारों के बावजूद आज भी महिलाएं उपेक्षित महसूस कर रही है। एक डर, भय और आशंका की परछाई उनके चेहरे पर नाच रही है।

बेटियों की हत्या

आज कन्या भ्रूण हत्या का दंश अपनी जगह है। कहते हैं कि हमारे प्राचीन समाज में बेटियों को टेंटुआ दबाकर मार दिया जाता था। मैं कहता हूं, मार दिया जाता था नहीं, आज भी मार दिया जाता है। बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के अनेक स्थानों पर बेटी का जन्म होते ही, उसे पैदा करवाने वाली दाई कुछ अतिरिक्त पैसा लेकर नवजात का गला दबाकर, उसे आक का दूध पिलाकर, धान की भूसी मुंह में डालकर या सुतली गले में लपेटकर, उसे मरोड़कर अथवा सर्दी के दिनों में गीला कपड़ा लपेटकर बच्ची की जान ले लेती हैं। स्पष्ट है कि जमाना चाहे बदल गया, आजादी बेशक मिल गई, लेकिन बहुत से पुरूष आज भी नहीं चाहते कि स्त्री उसके समकक्ष हो। मुझे तो औरतों पर लगी पाबंदियां कई जगह ज्यों की त्यों दिखाई देती हैं। पुरूष जहां–तहां मुंह मारता फिरे, प्रेम का नाटक करता फिरे या फिर अनेक शादियां, उसका बहिष्कार नहीं किया जाता। उसे प्रताड़ित नहीं किया जाता। दूसरी तरफ अगर औरत गलती से भी ऐसा कर दे तो उसे कुलटा और करमजली कहा जाता है। औरत यदि अपना जीवन अपने अनुसार बिताना चाहे तो सारे नियम बदल जाते हैं। पुरूष आज भी उसकी विवशता का लाभ उठाने से बाज नहीं आता।

आखिर क्यों हो रहा है ऐसा

माना कि स्त्री लगातार शिक्षित शिक्षित होती जा रही है। इसके बावजूद उसे उसके अधिकार नहीं मिल पा रहे। ससुराल में उसे आज भी प्रताड़ित किया जाता है। वह आज भी परिवार के निकटतम सम्बंधियों तक की हवस का शिकार हो जाती है। दहेज, छेड़छाड़, बलात्कार, घरेलू हिंसा व तरह–तरह की प्रताड़ना की वह आज भी शिकार हो रही है। सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब कानून उनके पक्ष में है, उसे कानूनन उसके अधिकार मिल चुके है तो वह आखिर किसलिए उपेक्षित व प्रताड़ित है।

मैं इसका एक ही कारण मानता हूं और वह है जागरूकता का अभाव। किताबी शिक्षा तो नारी प्राप्त कर रही है, लेकिन अपने अधिकारों और कानून के बारे में वह आज भी अशिक्षित है। इस पुस्तक को लिखने का मुख्य कारण यही है कि महिलाओं को उनके अधिकारों व कानून के बारे में बताया जाए, जागरूक किया जाए और सही मायनों में सशक्त बनाया जाए।

अभी तक आप पढ़ रहे थे केवल हिंदू महिलाओं के बारे में। मुस्लिम व इसाई महिलाओं के सम्बंध में हम आगामी अध्यायों में पढ़ने जा रहे हैं।

साभार – महिलाएं समझें अपने कानूनी अधिकार
पृष्ठ सं. 37 से 56
जे. के. वर्मा

स्व० श्री सत्ता वर्मा गरीब जन सुधार समिति

रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ जहाँ तक हो इस जीवन में औरों का उपकार करूँ।

मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि आपके ग्राम–खण्डेह में एक ऐसी कम्पनी स्थापित हो रही है जो आपकी हर तरह से मदद करेगी। यहाँ तक कि किसी भी राज्य में गलत कार्य होते है और उनका कहीं भी समाधान नहीं हो पा रहा है तो ऐसे सभी व्यक्ति इस कम्पनी में जिला स्तरीय प्रदेशीय व पूरे राष्ट्र के हित के लिए कार्य होंगे। आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह कम्पनी न किसी नेता की बसाई हुई है न कि नेताओं से चलती है। यह कम्पनी किसी से या किसी भी डिपार्ट से सम्पर्क कर सकती है। इस कम्पनी का उद्देश्य है कि पुनः भारत देश सोने की चिड़िया कहलाये। आप लोग टेलीविजन में समाचार देखते व रेडियों में सुनते हैं कोई व्यक्ति कुछ कर बैठता है लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं कि आखिर इसका क्या कारण है। हो सकता है कि कोई फाँसी लगा लेता है लेकिन इसका कारण किसी को मालूम नहीं होता। आप किसी के द्वारा नजायज सताये जाते हैं। अपना दुःख प्रकट नहीं कर सकते। हम शिकायत करने से डरते हैं। हमारी जान को खतरा हो सकता है। सभी छोटे–बड़े कार्य हल हो जायेंगे। सिर्फ आप लोगों को एक प्रार्थना पत्र लिखकर हमारी कम्पनी को देना है। अगर आपको खतरा है तो उसकी सुरक्षा का मार्ग दिया जायेगा। जनहित में समाचार पत्र शासन द्वारा जनहित में समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को समाचार पत्र भेजना व समाचार पत्र वितरको के बालक–बालिकाओं के शैक्षिक विकास की स्थापना कराना। विकलांग गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समाचार पत्र हेतु संस्था के माध्यम से समय–समय पर विचार गोष्ठी सम्मेलन सेमीनार व प्रतियोगिताएँ कराना। गरीब कौन है। गरीब सभी लोग है न कोई ऊँचा और न कोई नीचा है। सभी लोग एक समान है। इस कम्पनी में सभी समस्याओं का हल बड़ी गहराई के साथ किया जायेगा।

हमारी संस्था शुरूआत में एक करोड़ लोगों को रोजगार देगी एवं यह प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। महिला – 50% & पुरूष–50% आवश्यकतानुसार जो जिस काबिल है। आप अपना फोटो एवं मूल प्रमाण पत्रों (जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य) है। हमारे मुख्य कार्यालय के पते पर डाक द्वारा भेजें। संस्था सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। संस्था की मीटिंग दिनांक 14/04/2016 को स्थान सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में होगी। वही संस्था के कार्य बताये जायेंगें। संस्था का परिचय पत्र बन जाने के बाद आप एक करोड़ के हकदार हो जायेगें।

नोट– सुप्रीम कोट में मीटिंग इस लिए है कि आप सभी पुरूषों एवं महिलाओं का विश्वास न टूटे और समाज, संविधान व भारत देश का मान सम्मान बना रहे। हमारी संस्था में वही जुड़े जो भारत देश के लिए कुछ करने की चाह रखता है।

मुख्य कार्यालय का पता

स्व० श्री सत्ता वर्मा गरीब जन सुधार समिति, स्टेशन, स्टेशन निकास नई हरिजन बस्ती (मकान सं०–09)

ग्रा० – पो० खण्डेह, मौदाहा, जिला–हमीरपुर उ० प्र० (210507)

अध्यक्ष
भवानीदीन वर्मा

हमसे सम्पर्क करें –

www.svgjs.org, Bdverma8094@gmial.com, 09717338094/09412316172

जय हिन्द सत्यमेव जयते जय भारत

नोट – जो भी पत्रकार या न्यूज रिपोर्टर अच्छा मैटर बनाएगा उसको समिति एक लाख रूपये से सम्मानित करेगी (सत्य वचन) जय संविधान

आत्मा में विश्वास अ-धर्म है

1. भगवान् बुद्ध ने कहा कि जिस धर्म का सारा दारोमदार 'आत्मा' पर है वह कल्पनाश्रित धर्म है।
2. आजतक किसी ने भी न तो 'आत्मा' को देखा है और न उससे बातचीत की है।
3. आत्मा अज्ञात है, अदृश्य है।
4. जो चीज वास्तव में है वह मन या चित्त, 'आत्मा' नहीं। मन 'आत्मा' से भिन्न है।
5. तथागत ने कहा—'आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है।'
6. इसलिये जो धर्म 'आत्मा' पर आश्रित है, वह अपनाने योग्य नहीं है।
7. ऐसा धर्म केवल मिथ्या-विश्वास का जनक है।
8. बुद्ध ने इस बात को यों ही नहीं छोड़ दिया है। तथागत ने इसकी अच्छी तरह चर्चा की है।
9. 'आत्मा' में विश्वास भी वैसी ही सामान्य बात है जैसी 'परमात्मा' में विश्वास है।
10. 'आत्मा' में विश्वास रखना भी 'ब्राह्मणी' धर्म का एक अंग था।
11. 'ब्राह्मणी' धर्म में 'रूह' को 'आत्मा' या 'आत्मन्' कहते हैं।
12. ब्राह्मणी धर्म में 'आत्मा' उस तत्व-विशेष को कहा गया है जो शरीर से पृथक् किन्तु शरीर के ही भीतर, जन्म के समय से लेकर लगातार बना रहता है।
13. 'आत्मा' के विश्वास के साथ तत्सम्बन्धी दूसरे विश्वास भी जुड़े हुए हैं।
14. शरीर के साथ 'आत्मा' का मरण नहीं होता। यह दूसरे जन्म के समय दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है।
15. शरीर 'आत्मा' का एक और अतिरिक्त-परिधान है।
16. क्या भगवान बुद्ध 'आत्मा' में विश्वास रखते थे? नहीं, एकदम नहीं। 'आत्मा' के सम्बन्ध में उनका मत 'अनात्म-वाद' कहलाता है।
17. यदि एक अशरीरी 'आत्मा' को स्वीकार कर लिया जाय तो उसके सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। 'आत्मा' क्या है? 'आत्मा' का आगमन कहा से हुआ? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? यह कहा जाता है? शरीर के न रहने पर यह 'परलोक' में कैसे रहता है? वहां यह कब तक रहता है? जो लोग 'आत्मा' के अस्तित्व के सिद्धान्त के समर्थक थे, भगवान् बुद्ध ने उनसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहा था।
18. पहले तो उन्होंने अपने जिरह करने के सामान्य क्रम से यह दिखाना चाहा कि 'आत्मा' का विचार कितना गोल-मटोल है।
19. जो 'आत्मा' के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, उनसे भगवान् बुद्ध ने जानना चाहा कि 'आत्मा' का आकार कितना बड़ा या छोटा है? 'आत्मा' की शक्ल कैसी है?
20. आनन्द स्थविर को उन्होंने कहा था— "आनन्द! आत्मा के सम्बन्ध में लोगों के अनगिनत मत हैं। कोई कहते हैं— 'मेरा 'आत्मा' रूपी है और बड़ा ही सूक्ष्म है।' कुछ दूसरों का कहना है कि आत्मा की शक्ल है, यह अनन्त है और यह सूक्ष्म है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि यह निराकार है और अनन्त है।
21. "आनन्द! 'आत्मा' के बारे में नाना तरह के मत है।"
22. "जो लोग 'आत्मा' के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनकी आत्मा की कल्पना क्या है?" यह भी भगवान बुद्ध का एक प्रश्न था। कोई कहते हैं— "हमारी आत्मा (सुख-दुःख) अनुभव किया है।" दूसरे कहते है "नहीं आत्मा अनुभव किया नहीं, आत्मा अनुभव-किया है।" या फिर कोई कोई कहते हैं, "मेरी आत्मा अनुभव-किया नहीं है, न यह अनुभव-किया है, बल्कि मेरी आत्मा अनुभव करता है, मेरी आत्मा का गुण है अनुभव करना।" आत्मा के बारे में इस तरह की नाना कल्पनाएँ हैं।
23. जो लोग 'आत्मा' में विश्वास रखते थे, उनसे भगवान बुद्ध ने यह भी पूछा है कि मरणान्तर 'आत्मा की क्या हालत होती है?
24. तथागत यह भी प्रश्न पूछा है कि क्या मरने के बाद 'आत्मा' देखी जा सकती है?
25. उन्हें अनगिनत गोल-मटोल जवाब मिले।
26. क्या शरीर का नाश हो जाने पर 'आत्मा' अपने आकार-प्रकार को बनाये रखती है? उन्होंने देखा कि इस एक प्रश्न के आठ काल्पनिक उत्तर थे।
27. क्या 'आत्मा' शरीर के साथ मर जाती है? इस पर भी अनगिनत कल्पनाएं थीं।
28. तथागत ने यह भी पूछा कि शरीर के मरने के बाद 'आत्मा' सुखी रहता है या दुःखी रहता है? क्या 'आत्मा' शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहता है? इस विषय में भी श्रमणों और ब्राह्मणों के भिन्न-भिन्न मत थे। कुछ का कहना था कि यह एकदम दुःखी रहता है। कुछ का कहना था सुखी रहता है। कुछ का कहना था कि यह सुखी भी रहता है, दुःखी भी रहता है। कुछ का कहना था कि न यह सुखी रहता है और न दुःखी रहता है।
29. 'आत्मा' के सम्बन्ध में इन सब मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था, जो उन्होंने चुन्द को दिया।
30. चुन्द को उन्होंने कहा था : "हे चुन्द! जो श्रमण या ब्राह्मण इन मतों में से कोई भी मत रखते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, 'मित्र! क्या आपका यह कहना ठीक है?' और यदि वे उत्तर देते हैं, हाँ! मेरा मत ही ठीक है, शेष सब बेहूदा है,' तो मैं उनके इस मत को नहीं मानता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस विषय में लोगों के नाना मत हैं। मैं उनमें से किसी भी एक मत को अपने मत से श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं, अपने मत के समान स्तर पर भी नहीं मानता।"
31. अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 'आत्मा' के अस्तित्व के सिद्धान्त के विरूद्ध भगवान बुद्ध ने कौन कौन से तर्क दिये हैं?
32. भगवान बुद्ध ने 'आत्मा' के विरूद्ध भी सामान्य रूप से वे ही तर्क दिये हैं जो उन्होंने 'परमात्मा' के विरूद्ध दिये हैं।
33. उनका एक तर्क तो यही था कि 'आत्मा' की चर्चा उतनी ही बेकार या अनुपयोगी है, जितनी 'परमात्मा' की चर्चा।
34. उनका तर्क था कि 'आत्मा' के अस्तित्व में विश्वास सम्यक्-दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है, जितना 'परमात्मा' का विश्वास।
35. उनका तर्क था कि 'आत्मा' में विश्वास भी उतना ही मिथ्या-विश्वास का घर है जितना 'परमात्मा' में विश्वास। उनकी सम्मति में 'आत्मा' में विश्वास करना 'परमात्मा' में विश्वास करने की अपेक्षा भी अधिक खतरनाक था। क्योंकि इससे इतना ही नहीं होता कि पुरोहितों का वर्ग पैदा हो जाता है, इससे इतना ही नहीं होता कि मिथ्या-विश्वासों के जन्म का रास्ता खुल जाता है बल्कि 'आत्मा' के विश्वास के फलस्वरूप आदमी के जन्म से मरण-पर्यन्त उसके समस्त जीवन पर पुरोहित-शाही का अधिकार हो जाता है।
36. इन्हीं सामान्य तर्कों के कारण कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने 'आत्मा' के बारे में अपना कोई निश्चित मत अभिव्यक्त नहीं किया। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने 'आत्मा' के सिद्धान्त का खण्डन नहीं किया। कुछ औरों ने कहा है कि भगवान बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को बचा जाते थे।
37. ये सभी मत एकदम गलत हैं। क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि 'आत्मा' नाम का कोई पदार्थ नहीं है। इसीलिये 'आत्मा' के सम्बन्ध में तथागत का मत 'अनात्मवाद' कहलाता है।
38. 'आत्मा' के विरूद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने विशेष तर्क भी दिया है जो कि उनके अनुसार 'आत्मा' के सिद्धान्त के लिए एकदम मारक तर्क ही था।
39. 'आत्मा' के अस्तित्व की स्थापना के मुकाबले के भगवान बुद्ध का अपना सिद्धान्त था नाम-रूप का सिद्धान्त।
40. यह नाम-रूप का सिद्धान्त 'विभज्ज-वाद' द्वारा परीक्षण का परिणाम है मानव-व्यक्तित्व अथवा मानव के बड़े ही सूक्ष्म कठोर विश्लेषण का परिणाम है।
41. 'नाम-रूप' एक प्राणी का सामूहिक नाम है।
42. भगवान बुद्ध के अनुसार हर प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। ये भौतिक तथा मानसिक तत्व 'स्कन्ध' कहलाते है।
43. रूप-स्कन्ध प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि- इन चार भौतिक तत्वों का परिणाम है। ये 'रूप' अथवा शरीर है।
44. रूप स्कन्ध के अतिरिक्त (चित्त-चैतसिकों का समूह) नाम-स्कन्ध है, जिससे एक प्राणी की रचना होती है।
45. इस नाम-स्कन्ध को हम विज्ञान (= चेतना) भी कह सकते हैं। यूं इस नाम-स्कन्ध के अन्तर्गत, वेदना (छः इन्द्रियों तथा उनके विषयों के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूति), सञ्ञा (संज्ञा) तथा संखार (संस्कार) है। विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। (इस प्रकार पूर्व के तीन चैतसिक और विज्ञान (= चित्त) को मिलाकर नाम-स्कन्ध होता है-अनु०)। एक आधुनिक मानस-शास्त्र-वेत्ता कदाचित् इसे इस रूप में कहना पसन्द करेगा कि चित्त ही वह मूल स्त्रोत है, जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं (अथवा चैतसिकों के समूह-विशेष का नाम ही चित्त हो जाता है-अनु०)। विज्ञान (= चित्त) किसी भी प्राणी का केन्द्र-बिन्दु है।
46. पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु- इन चार तत्वों के सम्मिश्रण से 'विज्ञान' उत्पन्न होता है।
47. बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 'विज्ञान' की उत्पत्ति के इस सिद्धान्त पर एक आपत्ति उठाई जाती है।
48. जो इस सिद्धान्त के विरोधी है, वे पूछते हैं "विज्ञान (= चित्त) की उत्पत्ति कैसे होती है?"
49. यह सत्य है कि आदमी के जन्म के साथ विज्ञान (= चित्त) की उत्पत्ति होती है और आदमी के मरण साथ विज्ञान (= चित्त) का विनाश होता है। लेकिन साथ ही क्या कहा जा सकता है कि विज्ञान (= विज्ञान) चार तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है?
50. भगवान बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों की सह-स्थिति अथवा उनके सम्मिश्रण से विज्ञान (= चित्त) की उत्पत्ति होती है। तथागत ने इसे इस रूप में कहा है कि जहाँ भी शरीर या रूप-काय है, वहाँ साथ-साथ नामकाय भी रहता है।
51. आधुनिक विज्ञान से एक उपमा लें। जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र (electric field) होता है, वहाँ वहाँ उसके साथ आकर्षण-क्षेत्र (Magnetic field) रहता है। कोई नहीं जानता है यह आकर्षण-क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है, या किस प्रकार अस्तित्व में आता है? लेकिन जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है, वहाँ वहाँ यह उसके साथ अनिवार्य रूप से रहता है।
52. शरीर और विज्ञान (= चित्त) में भी हम कुछ कुछ इसी प्रकार का सम्बन्ध क्यों न मान लें?
53. विद्युत-क्षेत्र की अपेक्षा से उसका आकर्षण-क्षेत्र विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित क्षेत्र (induced field) कहलाता है। तो फिर हम विज्ञान (= चित्त) को भी रूपकाय (= शरीर) की दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित-क्षेत्र क्यों न कहें?
54. 'आत्मा' के विरूद्ध तथागत का तर्क यहीं समाप्त नहीं होता। अभी विशेष महत्वपूर्ण वक्तव्य शेष है।
55. जब विज्ञान (= चित्त = चेतना) का उदय होता है तभी आदमी जीवित प्राणी बनता है। इसलिये विज्ञान (= चित्त = चेतनता) आदमी के जीवन में प्रधान वस्तु है।
56. विज्ञान की प्रकृति है ज्ञान-मूलक, भावना-मूलक, और क्रियाशील।
57. विज्ञान को हम ज्ञान-मूलक उस समय कहते हैं जब यह हमें कुछ जानकारी देता है, कुछ ज्ञान प्रदान करता है- यह ज्ञान रूचिकर भी हो सकता है और अरूचिकर भी हो सकता है, वह अपने भीतर घटनेवाली घटनाओं का भी हो सकता है, बाह्य घटनाओं का भी हो सकता है।
58. 'विज्ञान' को हम भावना-मूलक उस समय कहते हैं जब यह चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल अनुभूतियाँ भी हो सकती हैं और प्रतिकूल-अनुभूतियाँ भी, जब भावना मूलक ज्ञान वेदना (= अनुभूति) की उत्पत्ति का कारण बनता है।
59. विज्ञान अपनी क्रिया-शील अवस्था में आदमी को उद्देश्य-विशेष की सिद्धि के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। क्रियाशील विज्ञान ही संकल्पों का या इरादों का जनक है।
60. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी की जितनी भी क्रियायों हैं वे या तो विज्ञान के द्वारा अथवा विज्ञान के परिणाम-स्वरूप पूरी होती है।
61. इस विश्लेषण के बाद भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा कार्य है जो 'आत्मा' के करने के लिए बचा रहता है? 'आत्मा' के जो कार्य माने जाते है, वे सब तो विज्ञान (= चित्त) द्वारा हो जाते हैं।
62. जिसका कुछ 'कार्य' ही नहीं, ऐसा 'आत्मा' एक बेहूदगी है।
63. इस प्रकार भगवान बुद्ध ने 'आत्मा' का अस्तित्व असिद्ध किया है।
64. यही कारण है कि 'आत्मा' का अस्तित्व स्वीकार करना अ-धर्म है।

साभार - भगवान बुद्ध और उनका धर्म
पृष्ठ सं. 202 से 207
अनुवादक - डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यायन

जाति और संविधान

यह प्रश्न न्यायसंगत है कि अछूतों की मांगों को संविधान में क्यों शामिल किया जाए ? विश्व में कहीं भी संविधान निर्माताओं के समक्ष यह विवशता नहीं थीं कि वे ऐसे मामलों को देखें। मैं मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो इस प्रश्न को उठा रहे हैं या इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसका संवैधानिक महत्व है, इसके उत्तर की उनसे ही अपेक्षा है। मेरी दृष्टि में इसका उत्तर स्वाभाविक है।भारत की सामाजिक व्यवस्था से ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसका संवैधानिक महत्व है। केवल हिन्दुओं की जाति प्रथा और सामाजिक व्यवस्था ही इसके लिए उत्तरदायी है। विदेशियों के समक्ष यथोचित व्याख्या के लिए हिन्दू – समाज और धर्म – व्यवस्था के फलितार्थ बताने के लिए यह संक्षिप्त वक्तव्य पर्याप्त नहीं है बल्कि यह भी सत्य है कि इस रिपोर्ट की सीमित परिधि में यह बताना असम्भव है कि जाति प्रथा के संविधान में क्या फलितार्थ होंगे। मैं जातियों के उन्मूलन सम्बन्धी अपनी पुस्तक में इस पर पूरी तरह प्रकाश डालूंगा, जिसे मैंने कुछ दिन पूर्व लिखा है। मुझे विश्वास है कि इससे हिन्दुओं की जाति और धार्मिक व्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक पक्ष पर काफी प्रभाव डाला गया है। इस प्रबन्ध लेख में मैं संक्षेप में निम्नांकित सामान्य जानकारी ही पेश करूंगा। संविधान की रचना में सामाजिक ढांचे का सदैव ध्यान रखना होता है। सामाजिक तत्वों की सक्रियता केवल सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहती। वे राजनीति में भी घुस जाते हैं। अछूतों का यही विचार है और मुझे विश्वास है कि यह तथ्य निर्विवाद है। हिन्दू इस दलील और इसकी प्रबलता से पूरी तरह अवगत हैं। परन्तु वे इस बात से मुकर जाएंगे कि हिन्दू समाज व्यवस्था यूरोपीयन समाज व्यवस्था से भिन्न है। वे इस तर्क का उत्तर देने के लिए यह कहेंगे कि हिन्दूओं की जाति प्रथा और पश्चिमी समाज की वर्ग व्यवस्था के बीच कोई भेद नहीं है। यह वास्तव में सफेद झूठ है और वे फिर भी यह साबित कर देंगे कि वे वर्ग व्यवस्था और जाति व्यवस्था का भेद ही नहीं जानते। जाति प्रथा का मूल है विलगाव और इसमें एक जाति को दूसरी जाति से भिन्न माना जाता है। दूसरे समाजों की व्यवस्था में विभाजन गुणात्मक है। वर्ग प्रणाली में भी भिन्नता का स्थान है किन्तु वह किसी वर्ग के कार्यो को जन्म–जन्मांतर के लिए तय करने के लिए नहीं है और न ही उसमें सामाजिक मेल – मिलाप पर कोई प्रतिबन्ध होता है। वर्ग व्यवस्था श्रेणियों के सही विभाजन की व्यवस्था है। जाति व्यवस्था ऐसी नहीं है। वर्ग व्यवस्था में वर्गों का सामाजिक रूप से विभाजन नहीं होता जबकि जाति प्रथा में भिन्न – भिन्न जातियों के बीच निर्धारित परस्पर सम्बन्ध निश्चित रूप से अनिवार्य और अविनाशी होते हैं, जो पक्के तौर पर असामाजिक है। यदि वह विश्लेषण सही है, तो इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि हिन्दू समाज व्यवस्था का स्वरूप भिन्न है, तो इसका परिणाम यही होगा कि हमारा राजनीतिक स्वरूप भी भिन्न होना चाहिए। अछूतों की कामना यही है, उसे सीधे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है, कि साधन और साध्य में समन्वय होना चाहिए और साध्य एक ही होना चाहिए। यदि साध्य एक भी हो तो यह आवश्यक नहीं कि उसे प्राप्त करने के साधन भी सामान होंगे। दरअसल साध्य एक ही होने पर भी काल और परिस्थिति के अनुकूल साधनों में भिन्नता भी हो सकती है। जिनके साध्य शुभ हैं और वे चाहते हैं कि उनका साध्य फूहड़ न कहलाए तो उन्हें दूसरे साधन अपनाने होंगे।

इस सम्बन्ध में एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा, हिन्दुओं की जाति व्यवस्था को देखते हुए यह आवश्यक है कि यहां की राजनीतिक व्यवस्था भिन्न होनी चाहिए और वह सामाजिक ढांचे के अनुरूप निर्धारित हो। बहुत से लोग इसे स्वीकार करते हैं परन्तु तर्क देते हैं कि हिन्दू समाज में जातियाँ तोड़ी जा सकती हैं। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। जो यह कहते हैं वे सोचते हैं कि जाति कोई ऐसी संस्था है जैसे क्लब, नगरपालिका या काउंटी कौंसिल; यह एक बड़ी भूल है। जाति धर्म और धर्म संस्था के सिवाय कुछ भी हो सकता है। यह संस्थाकृत है परन्तु जैसी इसकी रचना है, उसके परिप्रेक्ष्य में ऐसी कोई संस्था नहीं है। धर्म एक प्रवाह या ऐसी शक्ति है, जो हर व्यक्ति में रचा बसा है और वयक्ति के चरित्र को प्रभावित करता है और उसके कार्य, व्यवहार और पसन्द – नापसन्द को निर्धारित करता है। ये पसन्द – नापसन्द, कार्य और व्यवहार ऐसी संस्था नहीं हो सकते, जिन पर कोई और रंग चढ़ सके। सीधे शब्दों में यह 'काली कमली' है। यह ऐसी शक्ति है, ऐसा प्रवाह है, जिसे नियंत्रित करने के लिए उसकी काट भी होनी चाहिए। यदि सामाजिक तत्वों का राजनीति में घालमेल रोकना है और मुट्ठी भर लोगों के वर्चस्व पर नियन्त्रण रखना है, बहुत से लोगों को हेयता की पीड़ा से बचाना है, तो यह आवश्यक है कि राजनीतिक संरचना ऐसी हो जो सामाजिक तत्वों के सम्भावित पूर्वाग्रहों को लगाम दे सके, अन्याय को रोक सके।

अब तक मैंने सामान्य रूप से यह स्पष्ट किया है कि विशिष्ट प्रकृति वाले हिन्दू समाज के लिए एक विशिष्ट प्रकृति को राजनीतिक व्यवस्था की क्यों आवश्यकता है, और भारत के संविधान – निर्माता इन समस्याओं को अनदेखी क्यों नहीं कर सकते, जैसी समस्याएं अन्य देशों के संविधान निर्माताओं को दरपेश नहीं होती। अब मैं विशिष्ट प्रश्न पर आता हूं कि भारतीय संविधान में सांप्रदायिक योजना को शामिल करना क्यों आवश्यक है और अछूतों के लिए सरकारी सेवाओं में स्थान क्यों आरक्षित किए जाएं और उनके लिए पृथक अवसर क्यों आवश्यक है। इन मांगों का औचित्य सहज और स्वाभाविक है। यह बात

सेवा में,

नाम श्री.....

पता .....

.....

.....

इस निर्विवाद तथ्य से उत्पन्न होती है कि इसी कारण हिन्दूओं से अछूतों को अलग कर दिया गया है और वह भेदभाव अनावश्यक है। यह जन्मजात कटुता और तिरस्कार का मामला है। इस तिरस्कार और कटुता के लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। चिरंतन अस्पृश्यता का व्यवहार हिन्दुओं और अछुतों के बीच कटुता का पर्याप्त साक्ष्य है। ऐसी कटुता देखते हुए यह असम्भव है कि अछूतों से कहा जाए कि वे इस बात पर विश्वास कर लें कि अंग्रेजों से स्वतन्त्रता और स्वाधीनता मिलने के बाद हिन्दू उनके साथ न्याय करेंगे। जब अछूत यह कहते हैं कि वे हिन्दुओं पर विश्वास नहीं करते तो कौन कह सकता है कि यह कोई गलत कथन है। हिन्दू उनके लिए उतना ही पराया है, जितना कोई यूरोपवासी बल्कि उससे भी बदतर बात तो यह है कि यूरोप वाले पराए होकर तटस्थ तो हैं हिन्दू तो निर्लज्जता से अपने वर्ग का पक्ष – पोषक है और अछूतों के प्रति दंभ रखता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि युगों – युगों से हिन्दुओं ने अछूतों को तिरस्कृत और अपमानित किया है, क्योंकि वह एक अलग और घृणित वर्ग का है बेशक वह दूसरी नस्ल का न भी हो। अपनी मान्यताओं के अनुरूप हिन्दू अपने को अतिविशिष्ट वर्ग मानता है। वह अपने पूर्वाग्रहों के कारण अछूतों की आकांक्षाओं का कभी ध्यान नहीं रखता। उनसे वह कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहता और उनके हितों का विरोधी है। ऐसे लोगों के साथ अछूत क्यों बंधे रहें ? अछूतों से यह कैसे कहा जा सकता है कि वे अपने हित ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दें जो पूरी तरह उनके हितों और आकाक्षाओं के विरोधी हैं, जो अछूतों की जीवंतता के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, जिनकी उनके प्रति कोई रूचि और मनोभावना नहीं है, जो उनकी अपेक्षाओं से खार खाते हैं, वे निश्चित रूप से उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। उनसे भेद – माव बरतेंगे और वे आज तक अपने धर्मादेशों के अनुसार अछूतों के विरूद्ध दुर्व्यव्हार के प्रति लज्जा महसूस नहीं करते बल्कि कदम कदम पर अमानवीय बर्ताव करते हैं। ऐसे लोगों से सुरक्षा का एक ही उपाय है। राजनीतिक अधिकार – जिनकी मांग है कि अछूतों को हिन्दू बहुसंख्यकों के अत्याचारों से बचाने के लिए संविधान में स्पष्ट व्याख्या की जाए। क्या सुरक्षा की ये मांग बेतुकी हैं ?

सामार–

बाबा साहेब डा. अम्बेडकर

संपूर्ण वाङ्मय

खंड 17 पेज 25–27